रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आषाढ़ 9, 1936
No. 338] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASHADHA 9, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

सं. 07/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप–धारा (1) के साथ पठित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप–धारा (3), अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा वस्तु), अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2003–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 जून, 2003 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–3, उप–खंड (i) में सा.का.नि. 472(अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध II, में शीर्ष ''1. उत्तराखंड राज्य'', के अंतर्गत, उपशीर्ष ''(II) जिला–उद्यम सिंह नगर'' में, श्रेणी (ग) में, तालिका ''गैर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक गतिविधि'' शीर्ष के तहत, सारणी में :–

1. क्रम संख्या 28 के सामने स्तंभ (3) में, प्रविष्टियां ''सकरखेडा'' के स्थान पर प्रविष्टियां ''सरवरखेड़ा'' प्रतिस्थापित की जाएगी ।

2. क्रम संख्या 28 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टियों में, अंकों और शब्दों ''285क'' और ''288क'' के स्थान पर ''285/1'' और ''288/1'' अंक और चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 336/08/2011/टीआरयू (भाग-1)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना सं. 50/2003–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 जून, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–3, उप–खंड (i) में, तारीख 10 जून, 2003, सा.का.नि. 472(अ), के द्वारा प्रकाशित हुई थी, और इसमें अंतिम

संशोधन अधिसूचना सं. 27/2009–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7 दिसम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड–3, उप–खंड (i) में, सा.का.नि. 864(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, के द्वारा प्रकाशित हुई थी, के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2014

No. 07/2014-Central Excise

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 50/2003-Central Excise, dated the 10th June, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 472(E), dated the 10th June, 2003, namely:—

In the said notification, in ANNEXURE II, under heading "1. STATE OF UTTARAKHAND", under sub-heading "(11) DISTRICT –UDHAM SINGH NAGAR", in Category (C), under Table heading "Existing Industrial Activity in Non Industrial Area", in the Table,—

(i) against S. No. 28, in column (3), for the entry "Sakharkheda", the entry "Sarverkheda" shall be substituted;

(ii) against S. No. 28, in the entries in column (4), for the figures and letters "285A" and "288A" the figures and symbols "285/1" and "288/1" shall respectively be substituted.

[F. No. 336/08/2011-TRU (Pt. 1)]
RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note:—The principal notification No. 50/2003-Central Excise, dated the 10th June, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 472(E), dated the 10th June, 2003 and was last amended by notification No. 27/2009-Central Excise, dated the 7th December, 2009 vide number G.S.R. 864(E), dated the 7th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.